आज़ादी का अमृत महोत्सव
कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर
घर-घर औषधि योजना
पुलिस कमिश्नरेट के सामने, रोटरी सर्कल के पास, जोधपुर (राज.)–342001 Email- dcf.jdpr.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ (593)एफ.सी.ए / उवसं / 2021 / 1172 दिनांकः 12/05/2022

निमित्तः– सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

विषय : Diversion of 0.3291 Hectare Forest Land for construction of Kudi Bhagtasani HB to Pali Link Road in favour of Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) Proposal No – FP/RJ/Road/16088/2015

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्रांक 8बी–राज016 / 2022–जेपीआर दिनांक 27.04.2022 (छायांप्रति संलग्न)

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्रांक 8बी–राज016 / 2022–जेपीआर दिनांक 27.04.2022 द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण Diversion of 0.3291 Hectare Forest Land for construction of Kudi Bhagtasani HB to Pali Link Road in favour of Jodhpur Development Authority, Jodhpur (Rajasthan) Proposal No – FP/RJ/Road/16088/2015 में वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। अतः संदर्भित पत्र से अधिरोपित निम्नलिखित बिन्दुओं की राशि जमा करवाकर, शेष शर्तो की भी पालना / वचनबद्धता रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें:–

बिन्दु अ

बिन्दु संख्या 1– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनविभाग के पक्ष में गैर वन क्षैत्र के प्रस्ताव अनुसार 2 हैक्टेयर पर क्षतिपूरक पातन किये जाने वाले वृक्षों के (960 नग) वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि रूपये 5,12,000/- (अक्षरे पॉच लाख बारह हजार रूपये मात्र) कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे एंव साथ ही भविष्य में अगर क्षतिपुरक वृक्षारोपण की दर में बढोतरी होने पर बढी हुई राशि जमा कराने की वचन बद्धता संलग्न करें।

बिन्दु संख्या 2– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202 /1995 के अन्तर्गत आई.ए.सं. 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि (T. N GodavarmanThirumulpad petitioners में दिये आदेशानुसार तथा भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दर पत्रांक 5–3 / 2011–एफसी (वोल्युम–1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार Open Forest NPV@ 6,70,140 = 0.3291X6,70,140 रूपये = 2,20,543/-(अक्षरे दो लाख बीस हजार पॉच सौ तैयालिस रूपये मात्र) रूपये ई–चालान पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे एवं साथ ही भविष्य में अगर उक्त एन.पी.वी. की दर में बढोतरी होने पर बढी हुई राशि जमा कराने की वचन बद्धता संलग्न करें।

कृ0पृ0उ0

(23)

बिन्दु संख्या 5– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के दोनो किनारों की सुरक्षा हेतु 15,54,651/– रूपये (अक्षरे पंद्रह लाख लाख चोवन हजार छः सौ ईक्यावन रूपये मात्र) रूपये ई–चालान पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे एवं साथ ही भविष्य में अगर उक्त एन.पी.वी. की दर में बढोतरी होने पर बढी हुई राशि जमा कराने की वचन बद्धता संलग्न करें।

उक्त के अलावा सैद्धान्तिक स्वीकृति के शेष बिन्दुओ पार्ट अ के 3, 4, 6 से 7 एवं पार्ट बी के बिन्दु संख्या 1 से 21 तक की बिन्दुवार पालना/वचनबद्धता सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करावे। प्रकरण में नियमानुसार जमा की जाने वाली राशि स्टेट कैम्पा के निर्धारित मद में ई–चालान द्वारा ऑन लाइन जमा करवाकर चालान की प्रति यू.टी.आर. संख्या के साथ उपलब्ध करावे। इसके अलावा भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवांयु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 7–23/2012–एफ.सी. दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एंव अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रों की एक मूल प्रति व 4 सेट प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रमाणित प्रतियों की पालना के साथ फाईल/फोल्डर बनाकर इस कार्यालय में उपलब्ध करावें, ताकि आप द्वारा प्रस्तुत पालना/वचनबद्धता अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सके।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(विकास अरोडा)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

कमांकः सम/ दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

उप वन संरक्षक
जोधपुर